भारत में अग्नि सुरक्षा में लापरवाही

द हिन्दू

पेपर- III (आपदा प्रबंधन)

गुजरात के राजकोट स्थित एक गेमिंग सेंटर और दिल्ली के एक नवजात नर्सिंग क्लीनिक में आग लगने की दो घटनाएं 24 घंटे के भीतर हुईं। इनमें 30 लोगों की मौत हुई। इसने एक बार फिर भारत के छुपे खतरों में से एक की याद अप्रिय ढंग से दिलायी है। यह खतरा है : इमारतों की अग्नि सुरक्षा के प्रति भवन निर्माताओं व मालिकों से लेकर नियामक प्राधिकारियों तक तमाम हितधारकों की व्यापक लापरवाही। हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी 'भारतीय राष्ट्रीय भवन-निर्माण संहिता (एनबीसी) 2016' में आग से सुरक्षा का विस्तृत प्रोटोकॉल तय किया है, लेकिन यह एक सिफारिशी दस्तावेज है (क्योंकि अग्निशमन सेवाएं राज्यों का विषय है) और इसे नगरपालिका स्तर पर लागू किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं की वेबसाइट के 'अग्निशमन सेवाओं के बारे में – पृष्ठभूमि' पेज की शुरुआती पंक्तियों से ही भारत के अग्नि सुरक्षा मानदंडों के प्रति घोर उपेक्षा स्पष्ट हो जाती है। ये पंक्तियां इस प्रकार हैं, "भारत में अग्निशमन सेवाएं सुव्यवस्थित नहीं हैं। हाल के वर्षों में अग्नि सुरक्षा कवच संबंधी जरूरतें कई गुना बढ़ गयी हैं जबकि अग्निशमन सेवाओं के विकास में उतनी ज्यादा प्रगति नहीं हुई है।"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत की अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए 13वें वित्त आयोग से 7000 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी। लेकिन आयोग ने स्थान विशेष के अनुरूप अग्निशमन व आपातकालीन तैयारी में सुधार और पुनर्गठन की जरूरत महसूस करते हुए, नगरपालिका स्तर पर लगभग 90,000 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की। वर्ष 2019 में राज्यसभा को दिये गये गृह मंत्रालय के एक जवाब में कहा गया कि भारत के पास केवल 3,377 अग्निशमन (दमकल) केंद्र हैं, जबकि आग के खतरे और जोखिम विश्लेषण पर 2012 की एक राष्ट्रीय रिपोर्ट में इस संख्या के दोगुने से ज्यादा की मांग की गयी थी। कर्मचारियों की कमी तो और भी भयानक है। सन् 2019 में पूरे देश में केवल लगभग 55,000 अग्निशमन कर्मी थे, जबकि उससे सात साल पहले लगभग 5,60,000 की जरूरत थी। देर से ही सही, केंद्र ने आपातकालीन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए पिछली जुलाई में 5,000 करोड़ रुपये अलग रखे और राज्यों से 1,400 करोड़ रुपये देने को कहा। यह 15वें वित्त आयोग की उस सलाह का पालन है जो राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए सभी आवंटनों का 12.5 फीसदी अलग रखने को कहती है। देशभर में लू और मौसम संबंधी चरम घटनाएं बढ़ने के साथ, यह साफ है कि अगलगी से निपटने की खातिर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए एनबीसी 2016 और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के समन्वय की जरूरत है, क्योंकि निर्माण सामग्री, बिजली की वायरिंग, वातानुकूलन, और तमाम तरह की शीतलन सामग्री के मानकों को दुरुस्त करना होगा। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की राजनीति, नौकरशाही, नीति-निर्माताओं और उद्यमियों को इस छुपे खतरे से निपटने पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं?

- सबसे पहले, भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इसे एक संस्तुति दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किया है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने राज्यों से इसे अपने स्थानीय भवन उपनियमों में शामिल करने को कहा है। यह संस्तुतियों को एक "अनिवार्य आवश्यकता" बनाता है।
- दूसरा, अग्नि सुरक्षा समितियां गठित की गईं। वे केंद्र सरकार के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग तथा अन्य विद्युत उपकरणों की समय-समय पर जांच करती हैं।
- तीसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा के लिए तीसरे पक्ष की मान्यता भी लागू की है। इसने हर अस्पताल में अनिवार्य अग्नि प्रतिक्रिया योजना के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी बनाए हैं।

- चौथा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अस्पतालों सहित सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं भी प्रदान की हैं। जैसे, न्यूनतम खुला सुरक्षा स्थान बनाए रखना, संरक्षित निकास तंत्र, समर्पित सीढ़ियां, तथा निकासी के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास।
- पांचवां, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को समर्पित कोविड-19 अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय भवन संहिता के अंतर्गत दिशानिर्देश:

1. यह डिजाइन और सामग्रियों के लिए विनिर्देश और दिशानिर्देश प्रदान करता है जो विनाशकारी आग के खतरे को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, यह बाहरी दीवारों, आंतरिक असर वाली दीवारों, फर्श, छत, अग्नि जांच द्वार, अग्नि बाड़े से बाहर निकलने आदि में उपयोग की जाने वाली अग्नि प्रतिरोधी सामग्रियों को निर्दिष्ट करता है।
2. कोड सभी मौजूदा और नई इमारतों को उपयोग की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करता है। उदाहरण के लिए; आवासीय, शैक्षणिक, संस्थागत, असेंबली (जैसे सिनेमा और ऑडिटोरियम), औद्योगिक, आदि।
3. यह विशिष्ट क्षेत्रों में उपयोग के प्रकार के अनुसार इमारतों के स्थान की सिफारिश करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि औद्योगिक और खतरनाक संरचनाएं आवासीय, संस्थागत, कार्यालय और व्यावसायिक इमारतों के साथ सह-अस्तित्व में न हों।
4. कोड में इमारतों में आग लगने की स्थिति में अलर्ट करने और उससे लड़ने के लिए तकनीक को शामिल करने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, स्वचालित आग का पता लगाने और अलार्म सिस्टम, स्वचालित स्प्रिंकलर और पानी के स्प्रे, फायरमैन लिफ्ट, फायर बैरियर इत्यादि।
5. यह व्यावहारिक कठिनाई के मामले में विभिन्न इमारतों के लिए छूट प्रदान करता है। स्थानीय अग्निशमन सेवा प्रमुख संहिता से छूट पर विचार कर सकते हैं।
6. प्रत्येक राज्य में अग्नि सुरक्षा नियम मौजूद होने के बावजूद, व्यवहार में संहिता के प्रावधानों की अनदेखी की जाती है।

प्रश्न: राष्ट्रीय भवन संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित है।
2. भारतीय मानक ब्यूरो ने इसे एक संस्तुति दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to National Building Code:

1. The National Building Code of India deals with fire and life safety.
2. Bureau of Indian Standards has published it as a recommendation document.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: "भारत में भवनों में अग्निकांड से होने वाली मानवीय क्षति भारतीय समाज, नौकरशाही और नीति निर्माताओं की सामूहिक लापरवाही का परिणाम हैं।" टिप्पणी कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत में भवनों में अग्निकांड से होने वाली मानवीय क्षति को संक्षिप्त में आंकड़ों से समझाएं।
- दूसरे भाग में इस समस्या के पीछे भारतीय समाज, नौकरशाही और नीति निर्माताओं की सामूहिक लापरवाही को दर्शाएं।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।